

न्यायालय:-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र...../प्रअजिन्या/2020

मुलताई, दिनांक 06.05.2020

-:: परिपत्र ::-

विषय:- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. क्यू/11/जबलपुर दिनांक 02.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्र. 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक दी जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. क्यू/12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्र. 54 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत किमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।


अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक 09.05.2020 को नियत निम्नांकित सिविल एवं दांडिक प्रकरण रिकॉल (Recall) किए जाकर दिनांक 09.05.2020 को प्रातः 11:00 जे से 2:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

No.	Case No.	CIS No.	Parties Name	Advocate Name	Contact No.	Remark
1.	204/14	204/14	शा0 विरुद्ध कुंदनलाल वगै.	1.श्री जे0 के0बाईकर 2. श्री बलरामसिंह वर्मा 3. श्री श्रृवण गुजरे 4. श्री आर. के. सूर्यवंशी	8359087336 9425659355 9827223601 7974442051	

उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क

प्रस्तुत करे। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई.डी. multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 09.05.2020 को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 15.07.2020 को तथा शेष आपराधिक प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 08.06.2020 को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिए जाएंगे।


(हरप्रसाद बंशकार)
प्रथम अपर-जिला न्यायाधीश
मुलताई, जिला वेंतूल (म.प्र.)

न्यायालय:- मंजूषा तेकाम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भैंसदेही, जिला बैतूल म0प्र0

// परिपत्र //

क. / ६२ / 2020

भैंसदेही, दिनांक 08 / 05 / 2020

विषय: लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक क्यू 12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्रमांक 64 बैतूल दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत किमिनल रिजिजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में कॉज लिस्ट अनुसार अत्यावश्यक प्रकृति के मामले आगामी दिनांक 09.05.2020 को प्रातः 11:00 बजे से 2:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

क्र०	प्रकरण क्रमांक	सी0आई0एस 0 न०	पक्षकार नाम	अधिवक्ता नाम	मोबाईल न०	रिमाक
1	आर०सी०टी० 970/2015	970/2015	शासन विरुद्ध कमलाबाई वर्गरेह	श्री दिनेश कुमार कनाटे	9425685562	अंतिम तर्क

उक्त प्रकरणों में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति वर्जित की गई है। सम्मानीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क/तर्क प्रस्तुत करें। यदि में अपने निवास एवं कार्यालय से विडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा प्राप्त करने में अस्मर्थ हो तो वे न्यायालय परिसर में स्थित विडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अंतिम तर्क/तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्मानीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई डी bhainsdehi@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 09.05.2020 को नियत शेष सभी सिविल प्रकरण एवं दांडिक प्रकरण कॉज लिस्ट के अनुसार सुनवाई में लिए जावेंगे।

(मंजूषा तेकाम)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
भैंसदेही जिला बैतूल

**न्यायालय :- प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के
न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश बैतूल (म.प्र.)**

क्रमांक/क्यू/IV-AJ to IASJ/2020

बैतूल, दिनांक 08 मई, 2020

-:: सूचना ::-

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक/क्यू/12 दिनांक 04 मई, 2020 के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल के द्वारा जारी विविध आदेश क्रमांक/64/दो-12-11/2014, बैतूल दिनांक 04.05.2020 के अनुपालन में आज **दिनांक 09-05-2020** को व्ही. सी. के माध्यम से अंतिम तर्क हेतु नियत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :-

स.क्र.	प्रकरण क्रमांक	पक्षकार का नाम	सिविल/आपराधिक
01.	RCA No.103/2017	जयश्री विरुद्ध अशोक व अन्य	सिविल अपील
02.	CRA No.04/2019	वासुदेव व अन्य विरुद्ध म.प्र.राज्य	दाण्डिक अपील

(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/क्यू/IV-AJ to IASJ/20

बैतूल, दिनांक 08 मई, 2020

प्रतिलिपि,

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित अधिवक्तागण/पक्षकारगण/सर्वसाधारण को सूचनार्थ न्यायालय एवं जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय के सूचना पटल पर चशपार्थ।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय बैतूल की ओर उक्त सूचना जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(राज कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल
के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त
न्यायाधीश, बैतूल (म.प्र.)

न्यायालय:-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

क्र...../प्रअजिन्या/2020

मुलताई, दिनांक 06.05.2020

-:: परिपत्र ::-

विषय:- लॉकडाउन अवधि में प्रकरणों की सुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लिखा जाता है कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. क्यू/11/जबलपुर दिनांक 02.05.2020 एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्र. 63 बैतूल दिनांक 03.05.2020 के पालन में इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2020 से दिनांक 15.05.2020 तक नियत समस्त प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक दी जाकर उसकी आम सूचना दी जा चुकी है।

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. क्यू/12 जबलपुर दिनांक 04.05.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के विविध आदेश क्र. 64 दिनांक 04.05.2020 के अनुसार पूर्व में जारी परिपत्र के आलोक में जमानत, सुपुर्दगी, निषेधाज्ञा आदि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों के साथ-साथ अंतिम निराकरण, आदेश तथा अंतिम तर्क हेतु नियत किमिनल रिविजन एवं सिविल अपील में भी अंतिम सुनवाई की जाना है।

अतः उक्त आदेश के पालन में इस न्यायालय में पूर्व में दिनांक 09.05.2020 को नियत निम्नांकित सिविल एवं दांडिक प्रकरण रिकॉल (Recall) किए जाकर दिनांक 09.05.2020 को प्रातः 11:00 जे से 2:00 बजे के मध्य सुनवाई में लिए जावेंगे।

No.	Case No.	CIS No.	Parties Name	Advocate Name	Contact No.	Remark
1.	204/14	204/14	शा0 विरुद्ध कुंदनलाल वगै.	1.श्री जे0 के0बाईकर 2. श्री बलरामसिंह वर्मा 3. श्री श्रृवण गुजरे 4. श्री आर. के. सूर्यवंशी	8359087336 9425659355 9827223601 7974442051	

उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु पक्षकारगण की न्यायालय परिसर में उपस्थिति कठोरता से वर्जित की गई है। सम्माननीय अधिवक्तागण से अनुरोध है कि वे अपने-अपने उक्त प्रकरण में अपने निवास या कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम तर्क

प्रस्तुत करे। यदि वे अपने निवास एवं कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर अपनी-अपनी बारी आने पर अंतिम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय कक्ष में प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा शासन प्रशासन के निर्देशों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जावे। सम्माननीय अधिवक्तागण से अपेक्षित है कि उनके द्वारा उक्त मामलों में अपने लिखित तर्क न्यायालय की ई-मेल आई.डी. multai@mphc.in पर ई-मेल करना सुविधाजनक होगा।

दिनांक 09.05.2020 को नियत शेष सभी दीवानी प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 15.07.2020 को तथा शेष आपराधिक प्रकरण पूर्व सूचना अनुसार दिनांक 08.06.2020 को उसी प्रक्रम पर सुनवाई में लिए जावेंगे।

(हरप्रसाद बंशिकार)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश
मुलताई, जिला वेंतूल (म.प्र.)